सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 517
11/07/2017

पीआईओ–सह–अंचलाधिकारी को लगा दण्ड

पटना–11 जुलाई, 2017 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने लोक सूचना पदाधिकारी–सह– अंचलाधिकारी, को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने वाद सं0–94618/13–14 में आवेदक श्री रणजीत प्रसाद सिंह को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने के एवज में लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर को 25000/– (पचीस हजार) रुपये का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। साथ ही आर्थिक दण्ड की कटौती हेतु जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को फैसले की कॉपी इस निदेश के साथ प्रेषित की गई है कि कटौती कर इस आशय की सूचना से आयोग को भी अवगत कराया जाय।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 18 अगस्त 2017 को अपराह्न ढ़ाई बजे आयोग कार्यालय में होगी।

******